HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13894/2021

1. Moolchand S/o Girraj, R/o Bajhera Kalan Tehsil Wair Dist. Bharatpur Raj.
2. Udai Singh S/o Girraj, R/o Bajhera Kalan Tehsil Wair Dist. Bharatpur Raj.
3. Lakahan S/o Girraj, R/o Bajhera Kalan Tehsil Wair Dist. Bharatpur Raj.

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Anil Kumar Umpan
For Respondent(s) : Mr. Atul Sharma, PP
Mr. Tara Chand Sharma,

HON'BLE MR. JUSTICE SATISH KUMAR SHARMA

Order

29/10/2021

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना, वैर जिला भरतपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–111/2021 अपराध अंतर्गत 323,341,325,307 भारतीय दण्ड संहिता में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण की दलीलें हैं कि घटना के संबंध में क्रोस केस दर्ज हुए हैं। प्रारम्भ में आहत की चोटें साधारण प्रकृति की बताई गई हैं, बाद में बिना किसी एक्सरे व फ्रेक्चर के उन्हें काफी समय बाद गम्भीर बताया जा रहा है। सिर्फ अभियुक्त मूलचंद पर इस चोट को मारने का आरोप है। आहत के सरवाइकल पर कोई चोट नहीं है। सरवाइकल की पुरानी चोट के कारण आहत

उठने–बैठने की स्थिति में नहीं है, फिर भी पुरानी चोट को इस घटना से जोड़ते हुए प्राणघातक चोट बताई गई है। यह मामला किंचित मात्र भी धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का नहीं बनता है, फिर भी प्रार्थी–अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने पर आमादा हैं। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा है कि आहतगण के सिर में हत्या करने की नीयत से चोटें मारी गई हैं। आहतगण को जयपुर रैफर किया गया है, जयपुर में एमआरआई भी हुई है। पूरी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर चोट प्राणघातक पाई गई है। अनुसंधान में प्रार्थी–अभियुक्तगण की आवश्यकता है। मामला गम्भीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने योग्य है।

इस स्टेज पर मामले के गुणावगुण पर कोई निश्चित मत व्यक्त किया जाना उचित व आवश्यक नहीं है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिहाज से इतना ही उल्लेख किया जाना पर्याप्त है कि आहत व्यक्ति इलाज के लिये एसएमएस, जयपुर रैफर हुआ। सभी ट्रीटमेण्ट को विचार में लेते हुए आहत की चोट प्राणघातक बताई गई है। अनुसंधान के दौरान प्रार्थी–अभियुक्तगण की आवश्यकता है। प्रार्थी–अभियुक्त मूलचंद के अलावा अन्य अभियुक्तगण भी एफआईआर में नामजद हैं। ऐसी स्थिति में अपराध की गम्भीर प्रकृति और परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्तगण अग्रिम जमानत के पात्र नहीं हैं।

परिणामतः प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एतदद्वारा खारिज किया जाता है।

(SATISH KUMAR SHARMA),J

Pradeep Thawani /179